रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032020-218658
CG-DL-E-14032020-218658

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 939] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 12, 2020/फाल्गुन 22, 1941
No. 939] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 12, 2020/PHALGUNA 22, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2020

का.आ. 1045(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक एवं हितकर है, अत: एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ- (1) इस आदेश को सेफ्टी ग्लास (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश दिनांक 16.09.2020 से प्रभावी होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग- निम्नलिखित तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित तद्नुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक

ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं या सामान पर इस आदेश से कुछ भी लागू नहीं होगा।

3. **प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण –** भारतीय मानक ब्यूरो उक्त तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के संबंध में प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

तालिका

क्र.सं.	वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सेफ्टी ग्लास (वास्तुकला, भवन और सामान्य प्रयोजन के लिए)	आईएस: 2553 (भाग 1) : 2018	सेफ्टी ग्लास-विशेषताएं भाग 1 वास्तुकला, भवन और सामान्य प्रयोजन
2.	सेफ्टी ग्लास (सड़क परिवहन के लिए)	आईएस: 2553 (भाग 2): 2019	सेफ्टी ग्लास-विशेषताएं भाग 2 सड़क परिवहन के लिए

नोट : इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए संशोधनों सहित भारतीय मानकों के नवीनतम संस्करण ऐसी अधिसूचना की तिथि से लागू होंगे।

[फा.सं.11(1)/2018-सीआई]

मनमीत के. नंदा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 12th March, 2020

S.O. 1045(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. **Short title and commencement.**– (1) This Order may be called the Safety Glass (Quality Control) Order, 2020.

(2) It shall come into force with effect from 16.09.2020.

2. **Compulsory use of Standard Mark**.– Goods or articles specified in column (2) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard as specified in column (3) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per the Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles meant for export.

3. **Certification and enforcement authority**.– The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the column (2) of the said Table.

TABLE

Sl.No.	Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Safety Glass (Architectural, Building and General uses)	IS: 2553 (Part 1): 2018	Safety Glass – Specification Part 1 Architectural, Building and General uses
2.	Safety Glass (For Road Transport)	IS: 2553 (Part 2): 2019	Safety Glass – Specification Part 2 For Road Transport

Note: For the purpose of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as may be notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification.

[F.No. 11(1)/2018- CI]

MANMEET K. NANDA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.03.14 11:11:12 +05'30